



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2004/भाद्र 26, 1926

No. 789]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2004/BHADRA 26, 1926

कंपनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

का.आ. 1010(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (1) श्री येज़दी एच. मालेगम, अध्यक्ष
चार्टर्ड अकाउंटेंट (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (2) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान सदस्य
(28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (3) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान सदस्य
(28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

- (4) अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (5) भारतीय रिजर्व बैंक का नामनिर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (6) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (7) डा.एन. बालसुब्रामणियन, भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलोर का नाम निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (8) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नाम निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (9) दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का नाम निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (10) पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का नाम निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का निर्देशिती सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (12) संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय सदस्य (28.2.2005 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/5/2001-सी. एल. V]

जीतेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2004

S.O.1010(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an advisory committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:-

- | | |
|--|---|
| (1) Shri Yezdi H. Malegam,
Chartered Accountant | Chairperson
(shall hold office upto 28.2.2005)
[under clause (a) of sub-section (2)
of section 210A] |
| (2) President of the Institute of Chartered Accountants
of India | member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of section 210A] |
| (3) President of the Institute of Company Secretaries
of India | member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of section 210A] |
| (4) President of the Institute of Cost and Works
Accountants of India | member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of section 210A] |
| (5) Nominee of the Reserve Bank of India | member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (d) of sub-
section (2) of section 210A] |
| (6) Nominee of the Comptroller and Auditor-General
of India | member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (e) of sub-
section (2) of section 210A] |

- (7) Dr. N. Balasubramanian,
Nominee of the Indian Institute of Management,
Bangalore member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (f) of sub-
section (2) of section 210A]
- (8) Nominee of the Central Board of Direct Taxes member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (g) of sub-
section (2) of section 210A]
- (9) Nominee of the Associated Chambers of member
Commerce and Industry (shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (h) of sub-
section (2) of section 210A]
- (10) Nominee of the PHD Chambers of Commerce and member
Industry (shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (h) of sub-
section (2) of section 210A]
- (11) Nominee of the Securities and Exchange Board of member
India (shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (i) of sub-
section (2) of section 210A]
- (12) Joint Secretary,
Ministry of Company Affairs member
(shall hold office upto 28.2.2005)
[nominated under clause (c) of sub-
section (2) of section 210A]

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.